रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10112025-267541 CG-DL-E-10112025-267541

#### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 737]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 6, 2025/कार्तिक 15, 1947 NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 6, 2025/ KARTIKA 15, 1947

No. 737]

### इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2025

सा.का.नि. 823(अ).—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय (समूह 'ग' अशैक्षणिक एवं तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2020 तथा इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, समूह 'ग' पद भर्ती नियम, 2018 को— उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया था या करने का लोप किया गया है, मानकीकरण, परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II), विष्ठ सचिवालय सहायक, आशुलिपिक, स्टाफ कार चालक (ग्रेड-II), किनष्ठ सचिवालय सहायक, हिंदी टंकक, स्टाफ कार चालक (साधारण ग्रेड) और मल्टी-टास्किंग स्टाफ के समूह 'ग' गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-

- 1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ**.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (समूह 'ग', गैर-वैज्ञानिक और तकनीकी पद) भर्ती नियम, 2025 है।
  - (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

7401 GI/2025 (1)

- 2. **लागू होना.** ये नियम, इन नियमों से उपाबध्द अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।
- 3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**.- उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में उनका स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 4. भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं, आदि.- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धित, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- 5. **निरर्हता. -** वह व्यक्ति, -
  - (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से, जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है या विवाह की संविदा की है; या
- (ख) जिसने अपने पित या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है या विवाह की संविदा की है, उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

- 6. शिथिल करने की शक्ति. जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।
- 7. व्यावृत्ति. इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

### अनुसूची

पदों का नाम।	पदों की संख्या।	वर्गीकरण।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर।	चयन या अचयन पद।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा।
(1) 1. स्टाफ कार चालक (श्रेणी I)	(2) 05* (2025) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	(3) सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।।	(4) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5. (रु.29,200- 92,300/-)	(5) अचयन	(6) लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
<b>लागू न</b> हीं होता।	<b>लागू न</b> हीं होता।	<b>लागू न</b> हीं होता।	पदोन्नति द्वारा उपर्युक्त के अभाव में, प्रतिनियुक्ति/आमेलन। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी	भर्ती करने में किन
की दशा में, वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या	संरचना।	परिस्थितियों में संघ लोक सेवा
प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा।		आयोग से परामर्श किया
		जाएगा।
(11)	(12)	(13)
पदोन्नति :	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति	लागू नहीं होता।
स्टाफ कार चालक(श्रेणी-II)लेवल-4(रु.	पर विचार करने के लिये निम्नलिखित	
25,500- 81,100/-)में वेतन मैट्रिक्स में ग्रेड में	सम्मिलित हैं	
6 वर्ष की नियमित सेवा के साथ।	1. वैज्ञानिक 'ई' <b>, मानकीकरण, परीक्षण और</b>	
	गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी	
या	और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>- अध्यक्ष</b> ;	
स्टाफ कार ड्राइवर श्रेणी ॥ और स्टाफ कार	2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या /समतुल्य	
ड्राइवर साधारण श्रेणी में 15 वर्ष की संयुक्त	, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन	
सेवा; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा	निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	
उत्तीर्ण किया हो।	प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-सदस्य</b> ;	
टिप्पणजहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो के सम्बंध में :, जिन्होने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर	3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता	
ली है, प्रौन्नति के लिये विचार किया जा रहा	प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	
हो, वहाँ उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के सम्बंध में भी	प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या	
विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि	विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या	
उसके द्वारा की गई ऐसी अपेक्षित अर्हक या	समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।	
पात्रता सेवा, के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,		
इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने	   समूह ग 'विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर	
अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होने ऐसी	विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित	
अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रौन्नति के लिए अपनी	है :	
परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली	ा. विज्ञानिक 'ई' <b>, मानकीकरण, परीक्षण और</b>	
हो।	गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स	
	और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>- अध्यक्ष</b> ;	
प्रतिनियुक्ति/आमेलन :		
(i) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के	2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक या समतुल्य, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन	
उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद		
धारण करने वालों में से; या	निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना	
(ii) वेतन मैट्रिक्स (रु. 25,500-81,100/-) में	प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;	
लेवल-4 में स्टाफ कार चालक श्रेणी -II, जिसने	3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता	
छह वर्ष की नियमित सेवा की हो। या	प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना	
   (iii) स्टाफ कार चालक श्रेणी-II और स्टाफ कार	प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से <b>अवर सचिव/उप निदेशक या</b>	
चालक साधारण श्रेणी में 15 वर्ष की संयुक्त	्या विभाग स अवर साचव/उप निदशक या   समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।	
सेवा; और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा	A TOTAL VILLE OF THE PROPERTY	
उत्तीर्ण किया हो।		
सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या		
पुनर्नियोजन:		
सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी		
विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के		
भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में		
स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके		
पास प्रतिनियुक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और		
विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का		

चयन किया जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति मैं हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. वरिष्ठ सचिवालय सहायक।	27* (2025)  *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर - 4 (रु.25,500- 81,100)।	अचयन	18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तिथि वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।

(7)	(8)	(9)	(10)
आवश्यक: (i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक; और (ii) कम्प्यूटर पर अंग्रेजी में 35 शब्द प्रति मिनट या हिन्दी में 30 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति। (प्रत्येक शब्द के लिए 5 की डिप्रेशन्स के औसत पर 10500 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा/9000 की डिप्रेशन प्रति घंटा के अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और 30 शब्द प्रति मिनट)	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष। टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।	(ii) पच्चीस प्रतिशत सीमित विभागीय

टिप्पण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी या हिंदी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है। भर्ती के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी का विकल्प दिया जाता है। यदि भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको अपनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे अर्जित करना अपेक्षित होगा।

टिप्पण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसुचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

> (11)(12)(13)

#### पदोन्नति:

वेतन मैट्रिक्स में स्तर -2 (19900-63200 रुपये) में ऐसे कनिष्ठ सचिवालय सहायक और हिंदी टंकक जिन्होंने उस श्रेणी में आठ वर्ष की नियमित सेवा की है और समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा किया

*टिप्पण : जहां* ऐसे किनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां *उनके* ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या *पात्रता सेवा* पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए *अपनी* परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली ह्रो।

#### सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा :

वेतन मैट्रिक्स में लेवल-2 (19900-63200 रुपये) में कनिष्ठ सचिवालय सहायक और हिंदी टंकक. जिन्होंने पांच वर्ष की नियमित सेवा की समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित हैं

1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;

- 2. संयक्त निदेशक / उप निदेशक या /समतल्य. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य:
- 3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।

समूह ग 'विभागीय पृष्टि समिति पृष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :

- 1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;
- 2. संयक्त निदेशक / निदेशक यासमतुल्य, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

लागू नहीं होता।

5

है और अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति की समाप्ति की तारीख पर समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पुरा किया हो।

टिप्पण 1: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार संचालित होगी।

टिप्पण 2: सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी यदि पहले से टंकण उत्तीर्ण नहीं की हो तो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अविध के भीतर स्तंभ (7) के खंड (ii) में यथाविहित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा जिसके न हो सकने पर तब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक की वे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुसंगत नियमों के अधीन छूट नहीं दी जाती। प्रतिनियक्ति:

- (i) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों में या स्वशासित निकायों या पब्लिक सेक्टर/उपक्रम में नियमित आधार पर(पर धारण करने) से सदूश पदों को रखने वालों में से; या
- (ii) वेतन मैट्रिक्स (19,900-63,200 रुपये) में स्तर -2 में किनष्ठ सिचवालय स्क्रहायक और हिंदी टंकक, जिन्हें कार्मिक या स्थापना या लेखा मामलों के क्षेत्र में आठ साल की नियमित सेवा का अनुभव हो।

टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति मैं हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग ने इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। 3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
3. आशुलिपिक	05* (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4	लागू नहीं होता।
	*कार्यभार के आधार	'ग', अराजपत्रित, अनुसचिवीय।	(रु. 25500-81100)।	
	पर परिवर्तन किया जा	_		
	सकता है।			

18 से 27 वर्ष की आयु के बीच। (केंद्रीय (i)			
सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।  हिं भारती हैं।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।  हिं भारती हैं।  टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए हिं भारती की जाए।  हिं भारती हैं।  हिं भारती	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12 वीं क्षा उत्तीर्ण; और  i) कौशल परीक्षण मानदंड - तलेख: 10 मिनट में 80 शब्द प्रति तेनट की गति,  तिलेखन: 50 मिनट (अंग्रेजी) 65 तेनट (हिंदी) (केवल कंप्यूटर पर)।  प्रपण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी या हैंदी या दोनों का ज्ञान आवश्यक है। तीं के समय अभ्यर्थियों को अंग्रेजी ा हिंदी का विकल्प दिया जाता है। दि भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हेंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको पनी परिवीक्षा अवधि के दौरान उसे जिंत करना अपेक्षित होगा।  प्रपण 2: अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित भ्यर्थियों की दशा में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी त्यन आयोग के विवेकानुसार शिथिल जो जा सकती है।  प्रपण 3: अनुभव संबंधी अर्हताएं जरणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी त्यन आयोग के वेवेकानुसार अनुभूचित जातियों और नुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों जो दशा में तब शिथिल की जा सकती जा सकती जा चयन के किसी प्रक्रम पर अर्मचारी चयन आयोग की यह राय है के उनके लिए अपेक्षित अनुभव रखने ले उन समुदायों के अभ्यर्थियों को उन से समुदायों के अभ्यर्थियों को त्यन समुदायों के अभ्यर्थियों को त्यन समुदायों के अभ्यर्थियों को त्रन से लिए अपेक्षित अनुभव रखने ले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के त्रन समुदायों के त्रन समुदायों के अभ्यर्थियों के त्रन समुदायों समुदायों समुदायों समुदायों के त्रन समुदायों समुद	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।  टिप्पण: परिवीक्षा को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए केंद्रीय सरकार द्वारा यथाविहित कम से कम दो सप्ताह की अवधि का प्रवेश प्रशिक्षण अनिवार्य होगा।

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के	लागू नहीं होता।	समूह ग 'विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है:	लागू नहीं होता।
प्रतिनियुक्ति या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्ही अन्य		1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;	
परिस्थितियो में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिये बाहर रहने के कारण		2. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/ या समतुल्य, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और	
हुई रिक्तिया केंद्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियो में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेगी जो		सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;  3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।	
(क) नियमित		स्तर का अधिकारी -सदस्य।	

	आधार पर सदृश पद
(₹	ख) जिनके पास स्तम्भ (7) के
	अधीन सीधी भर्ती किये जाने
	वाले व्यक्तियो के लिये विहित अर्हताये हो ।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.स्टाफ कार	06* (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग'	वेतन मैट्रिक्स में स्तर – 4	अ <b>चयन</b> ।
चालक (श्रेणी- II)।	*कार्यभार के आधार पर	अराजपत्रित, अननुसचिवीय।।	(रु.25500 -81100)।	
	परिवर्तन के अध्यधीन।			

6.	7.	8.	9.
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पदोन्नति द्वारा।  उपर्युक्त के अभाव में, सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन के आमेलन द्वारा।	पदोन्नति: स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी वेतन मैट्रिक्स में वेतन स्तर-2 (19,900-63,200/-रुपये) में ग्रेड में 09 साल की नियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। टिप्पण: जहां ऐसे किनष्ट व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे किनष्ट व्यक्तियो सिहत, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (i) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में नियमित आधार पर सदृश पद धारण करने वालों में से; या	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति प्रोन्नति पर विचार करने के लिये खिनिम्नलित समिलित हैं  1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;  2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/ या समतुल्य, मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य;  3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।	लागू नहीं होता।

मैट्रिक्स (19,900-वेतन 63,200/- रुपये) में स्तर -2 में स्टाफ कार चालक साधारण श्रेणी . नौ वर्ष की नियमित सेवा के साथ और सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट ट्रेड परीक्षा उत्तीर्ण किया हो। सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए प्रतिनियुक्ति या पुनर्नियोजन: सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किया जाने वाले हैं और जिनके पास प्रतिनियक्ति के लिए अपेक्षित अनुभव और विहित अर्हताएं हैं। यदि ऐसे अधिकारियों का चयन किया जाता है तो उस तारीख तक प्रतिनियक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त

> टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पँक्ति मैं हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे।

> किया जाना है और तत्पश्चात उन्हें पनर्नियोजन निबंधनों पर बने रहने

दिया जा सकता है।

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी।

टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.कनिष्ठ सचिवालय	18* (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर -	अ <b>चयन</b> ।
सहायक।	*कार्यभार के आधार पर	'ग',अराजपत्रित अनुसचिवीय ।	2 (হ. 19900-	
	परिवर्तन किया जा सकता		63200)	
	है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।	आवश्यक:	हां, स्तंभ (11) के अधीन	सीधे भर्ती किए जाने
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए	(क) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से	उपदर्शित विस्तार तक।	वाले व्यक्तियों के लिए
गए अनुदेशों या आदेशों के	12 वीं कक्षा उत्तीर्ण;		दो वर्ष।
अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के	(ख) कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 35		<b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा को
लिए चालीस वर्ष तक शिथिल	शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 30		सफलतापूर्वक पूरा
की जा सकती है।)	शब्द प्रति मिनट की टंकण गति।		करने के लिए केंद्रीय
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित	(प्रत्येक शब्द के लिए 5 की		सरकार द्वारा
करने के लिए निर्णायक तारीख	डिप्रेशन्स के औसत पर 10500		यथाविहित कम से कम
वह होगी जो कर्मचारी चयन	की डिप्रेशन्स प्रति घंटा। 9000		दो सप्ताह की अवधि
आयोग द्वारा विज्ञापित की जाए।	की डिप्रेशन्स प्रति घंटा के		का प्रवेश प्रशिक्षण
	अनुरूप 35 शब्द प्रति मिनट और		अनिवार्य होगा।
	30 शब्द प्रति मिनट) ।		
	टिप्पण 1: भर्ती के समय अंग्रेजी		
	या हिंदी या दोनों का ज्ञान		
	आवश्यक है। भर्ती के समय		
	अभ्यर्थियों को अंग्रेजी या हिंदी		
	का विकल्प दिया जाता है। यदि		
	भर्ती के समय किसी अभ्यर्थी को हिंदी का ज्ञान नहीं है, तो उसको		
	अपनी परिवीक्षा अवधि के		
	दौरान उसे अर्जित करना		
	अपेक्षित होगा।		
	<b>टिप्पण 2</b> : अर्हताएं, अन्यथा		
	सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में		
	कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए		
	जाए कर्मचारी चयन आयोग के		
	विवेकानुसार शिथिल की जा		
	सकती है।		
	टिप्पण 3: अनुभव संबंधी		
	अर्हताएं कारणों के लिए जो		
	लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी		
	चयन आयोग के विवेकानुसार		
	अनुसूचित जातियों और		
	अनुसूचित जनजातियों के		
	अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब		
	ाशायल का जा सकता ह जब चयन के किसी प्रक्रम पर		
	कर्मचारी चयन आयोग की यह		
	राय है कि उनके लिए आरक्षित		
	रिक्तियों को भरने के लिए		
	अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन		
	समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त		
	संख्या में उपलब्ध होने की		
	संभावना नहीं है।		

(10)	(11)	(12)	(13)
(i) पचास प्रतिशत सीधी	पदोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
भर्ती द्वारा।	(क) वेतन मैट्रिक्स में स्तर-1	प्रोन्नति पर विचार करने के लिये	
(ii) पच्चीस प्रतिशत	(18000-56900 रुपये) में,	निम्नलिखित सम्मिलित हैं	
पदोन्नति द्वारा।	बहुकार्य कर्मचारिवृंद, जिसने स्तर	1. वैज्ञानिक 'ई' <b>, मानकीकरण, परीक्षण</b>	

(iii) पच्चीस सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा द्वारा

(iv) उपरोक्त (i), (ii) और (iii) के असफल होने पर, प्रतिनियक्ति द्वारा

प्रतिशत में तीन वर्ष की नियमित सेवा की हो तथा समय-समय पर तय किए गए प्रासंगिक क्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पुरा किया हो।

(ख) स्तंभ (7) के खंड (i) के अधीन विनिर्दिष्ट अर्हताएं रखते हैं।

टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पुरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो. वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा. अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो. कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियो सहित. जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापुर्वक पुरी कर ली हो। विभागीय

- सीमित प्रतियोगी परीक्षा:
- (i) वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-56900 रुपये) में ऐसे बहुकार्य कर्मचारिवृंद जिन्होंने तीन वर्ष की नियमित सेवा की है और अभ्यर्थी से आवेदन प्राप्ति की समाप्ति की अंतिम तारीख को समय-समय पर यथाविनिश्चित सुसंगत कार्यक्षेत्र या क्षेत्र में दो सप्ताह का प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पुरा किया हो।
- परीक्षा की पात्रता के (ii) लिए अधिकतम आयु सीमा साधारण अभ्यर्थी की दशा में 45 वर्ष और अनुसूचित जातियों और अनुसुचित जनजातियों अभ्यर्थियों की दशा में 50 वर्ष होगी।
- (iii) जो स्तंभ 7 के अधीन सीधे भर्ती के लिए निहित अर्हताएं और अनुभव रखते हों।

टिप्पण 1: सीमित विभागीय परीक्षा प्रतियोगिता सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा नियम, 2025 के उपबंधों के अनुसार संचालित होगी।

टिप्पण 2: सीमित विभागीय

और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष:

- 2. संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/या समतुल्य. मानकीकरण. परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय. इलेक्ट्रॉनिकी और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य:
- 3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सुचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य। समूह ग 'विभागीय पृष्टि समिति पृष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है:
- 1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष;
- 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक यासमत्ल्य . मानकीकरण. परीक्षण और गणवत्ता प्रमाणन निदेशालय. इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य:
- 3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।

प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों को टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगी यदि पहले से टंकण उत्तीर्ण नहीं की हो तो नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर स्तंभ (7) के खंड (ii) में यथाविहित टंकण परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा जिसके न हो सकने पर तब तक उनकी वार्षिक वेतन वृद्धि अनुज्ञात नहीं की जाएगी जब तक की वे उक्त परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो जाते या सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से सुसंगत नियमों के अधीन छूट नहीं दी जाती।

### प्रतिनियुक्ति:

केन्द्र सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के अंतर्गत नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए अधिकारी।

टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नही होगी

टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी

टिप्पण 3: किनष्ठ सिचवालय सहायक (तत्कालीन सहायक 'क') के पदों पर भर्ती की गई है जो केंद्रीय सिचवालय से संबंधित नहीं हों यि बहुकार्य कर्मचारियों (तत्कालीन समूह 'घ') से प्रोन्नति या कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती या अन्यथा किसी अन्य पद्धति द्वारा जिसके अंतर्गत या अनुकंपा आधार या तदर्थ आधार पर नियुक्ति की गई हो, प्रोन्नति के लिए टंकण परीक्षा से निम्नानुसार छूट हो सकती है।

(i) यदि उपर्युक्त उनकी नियुक्ति की तारीख पर आयु 45 वर्ष से अधिक हो तो उन्हें नियुक्ति की तारीख से यह छुट मिल सकती है।

(ii) यदि नियुक्ति के समय 35 से 45 वर्ष के बीच की आयु है तो 45

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. हिंदी टंकक ।	02* (2025)	सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2	चयन।
	*कार्यभार के आधार पर	'ग' अराजपत्रित	(रु. 19,900 –	
	परिवर्तन किया जा	अनुसचिवीय	63,200/-)।	
	सकता है।			

(6)	(7)	(8)	(9)
लागु नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागु नहीं होता।	लागु नहीं होता।

(10)	(11)	(12)	(13)
पदोन्नति द्वारा,	पदोन्नति:	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति	लागू नहीं होता।
उपर्युक्त के अभाव में	वेतन मैट्रिक्स के स्तर -1 (18000-		
प्रतिनियुक्ति द्वारा।	56900 रुपये) में ऐसे बहुकार्य	·	
		1. वैज्ञानिक 'ई' <b>, मानकीकरण, परीक्षण</b>	
	वर्ष की नियमित सेवा की है और	और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय,	
	निम्नलिखित योग्यताएं रखते हों,	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	
	(i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं	मंत्रालय <b>- अध्यक्ष</b> ;	
	कक्षा उत्तीर्ण; और	2. संयुक्त निदेशक/उप निदेशक/या	
	(ii) हिंदी में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की	समतुल्य , मानकीकरण, परीक्षण और	
	टाइपिंग गति।	्र गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय,	
	टिप्पण 1: बहुकार्य कर्मचारिवृंद से		
	हिंदी टंकक के पद पर पदोन्नति के	इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी	
	लिए हिंदी भाषा में टंकक परीक्षा	मंत्रालय -सदस्य;	
	मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता	3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता	
	प्रमाणन निदेशालय या किसी नामित		
	एजेंसी द्वारा आयोजित किया जाएगा ।	सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न	
	टिप्पण 2: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के		
	संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या		
	पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के	अधिकारी -सदस्य।	
	लिए विचार किया जा रहा हो, वहां		
	उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी		
	विचार किया जाएगा परंतु यह तब तक		

जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक	
या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या	
पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या	
दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम	
न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ	
व्यक्तियो सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक	
या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली	
है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के	
लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि	
सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	
प्रतिनियुक्ति:	
(i) भारत सरकार के अन्य मंत्रालयों	
या स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र	
के उपक्रमों में नियमित आधार पर	
सदृश पद धारण करने वालों में से; या	
(ii) वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 (18000-	
56900/-रू) में ऐसे	
बहुकार्यक्कर्मचारीवृन्दजिन्होने उस श्रेणी	
में तीन वर्ष नियमित सेवा की है और	
जिनके पास स्तम्भ (7) के अधीन सीधी	
भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियो के लिये	
विनिर्दिष्ट अर्हताए हैं।	
टिप्पण 1: पोषक प्रवर्ग के ऐसे	
विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की	
सीधी पँक्ति मै हैं प्रतिनियुक्ति पर	
नियुक्ति के लिये विचार किये जाने के	
पात्र नही होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्त	
व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिये	
विचार किये जाने के पात्र नहीं होंगे ।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि,	
जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी	
या किसी अन्य संगठन या विभाग ने	
इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी	
अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति	
की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से	
अधिक नहीं होगी।	
टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति	
के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन	
प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन	
वर्ष से अधिक नहीं होगी।	

(1)	(2)	)	(3)	(4)	(5)
7. स्टाफ कार चालक	05* (2025)		सामान्य केन्द्रीय सेवा, समूह	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।
(साधारण श्रेणी)	*कार्यभार के	आधार पर	'ग', अराजपत्रित,	स्तर-2(रु.19,900-	
	परिवर्तन किय	ा जा	अननुसचिवीय।	63,200)	
	सकता है				
(6)			(7)	(8)	(9)
18 से 25 वर्ष की		आवश्यक:		लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती या
(केन्द्रीय सरकार द्वारा जा आदेशों के अनुसार विभा		(i) मान्य	यता प्राप्त बोर्ड से 10 वीं कक्षा		पुनर्नियोजित के संबंध में दो वर्ष।

के लिए 40 वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।

टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह होगी जो विज्ञापित की जाए। उत्तीर्ण :

- (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य चाल्ना अनुतापित रखता हो
- (iii) वर्षो का मोटर कार चलाने का 3 अनुभव हो,
- (iv) सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट व्यवसायपरीक्षा पास की हो
- (v) मोटर तंत्र का ज्ञान (अभ्यर्थी, वाहन में छोटी-मोटी खराबियों को दूर करने में सक्षम होना चाहिए)।

वांछित:

होम गार्ड या सिविल स्वयंसेवक के रूप में तीन वर्ष की सेवा।

टिप्पण 1: अर्हताये, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियो की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है।

टिप्पण 2: अनुभव सम्बंधी अर्हता सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियो और अनुसूचित जनजातियो के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियो को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायो के अभ्यर्थियो के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(10)(11)(12)(13)प्रतिनियुक्ति या आमेलन, प्रतिनियुक्ति या आमेलन: समूह ग 'विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर लागू नहीं होता। जिसके न होने पर सीधी विचार करने के लिये निम्नलिखित मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता भर्ती द्वारा। सम्मिलित है: प्रमाणन निदेशालय में वेतन मैट्क्स सशस्त्र बल कार्मिकों के 1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और के स्तर 1 (1,8,000-56,900 / -रू) लिए: गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे नियमित समृह प्रतिनियक्ति/पुनर्नियोजन और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय - अध्यक्ष; कर्मचारियों में से, जिसके पास मोटर 2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक यासमतुल्य , मानकीकरण, परीक्षण और कार चलाने की सक्षम्ता के लिये गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स चालन परीक्षा के आधार पर मोटर और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय -सदस्य; कार के लिये विधिमान्य चालन 3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता अनुज्ञप्ति हो जिसके न हो सकने पर प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी केंद्रीय सरकार के अन्य मंत्रालयो और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी विभागो में वेतन मैट्रिक्स के स्तर 1 मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप (रू 18000-56900 ) में नियमित निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी आधार पर सवार हरकारा कर्मचारी -सदस्य। का पद धारण करने वाले में जो स्तम्भ (7) में यथाविनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताये रखते हो । सैनिकों भूतपूर्व के प्रतिनियक्ति/पुनर्नियोजन:सशस्त्र बल कार्मिक के ऐसे कार्मिको के सम्बंध में

विचार किया जाएगा, जो एक वर्ष	की
अवधि के भीतर सेवानिव्रुत होने व	गले
हैं या रिजर्व में स्थानांतरित र्	केये
जाने वाले हैं और जिनके प	गस
अपेक्षित अनुभव और निहित अर्ह	
हैं । ऐसे व्यक्तियो को उस तारीख	
प्रतिनियुक्ति के निर्वंध्नो पर	
जाएगा जिस तारीख से उन्हेन सः	
बल से नियुक्त किया जाता	
तत्पश्चात उहे पुनर्नियोजन पर	
रहने दिया जा सकता है ।	
टिप्पण 1: प्रतिनियुक्ति की अर्वा	धे ,
जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के	
या किसी आंय संगठन या विभाग	T में
इस नियुक्ति से ठीक पहले धा	रित
किसी अन्य काडर बाह्य पद	पर
प्रतिनियुक्ति की अवधि	
साधरणतया वर्ष से अधिक नही	3
होगी।	
टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति या आमे	लन
द्वारा नियुक्ति के लिये अधिकतम	आयु
सीमा आवेदन प्राप्त करने की अं	तेम
तारीख को वर्ष से अधिक नही	56
होगी।	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. बहुकार्य	89* (2025)	सामान्य केंद्रीय सेवा समूह 'सी', '	वेतन मैट्रिक्स में	लागू नहीं होता।
कर्मचारिवृंद।	*कार्यभार के आधार पर	अराजपत्रित , अननुसचिवीय।	स्तर–1 (रु.	
समूह 'ग़'	परिवर्तन किया जा सकता है।		18000- 56900)।	

(6)	(7)	(8)	(9)
18 से 27 वर्ष की आयु के बीच।	किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन पास	लागू नहीं होता।	सीधे भर्ती किए
(केंद्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए	टिप्पण 1 : अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा		जाने वाले व्यक्तियों
अनुदेशों या आदेशों के अनुसार	में कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए		के लिए दो वर्ष।
विभागीय अभ्यर्थियों के लिए चालीस	कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार शिथिल		<b>टिप्पण:</b> परिवीक्षा
वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	की जा सकती है।		को सफलतापूर्वक
टिप्पण: आयु-सीमा अवधारित करने	टिप्पण 2: अनुभव संबंधी अर्हताएं कारणों के		पूरा करने के लिए
के लिए निर्णायक तारीख वह होगी	लिए जो लेखबद्ध किए जाए कर्मचारी चयन		केंद्रीय सरकार
जो कर्मचारी चयन आयोग द्वारा	आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और		द्वारा ्यथाविहित
विज्ञापित की जाए।	अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में		कम से कम दो
	तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी		सप्ताह की अवधि
	प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है		का प्रवेश प्रशिक्षण
	कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के		अनिवार्य होगा।
	लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों		
	के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने		
	की संभावना नहीं है।		

(10)	(11)	(12)	(13)
सीधी भर्ती द्वारा।	लागू नहीं होता।	समूह ग 'विभागीय पुष्टि समिति पुष्टि पर विचार करने के लिये निम्नलिखित सम्मिलित है :	लागू नहीं होता।
		1. वैज्ञानिक 'ई', मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय	
		- अध्यक्ष;	
		2. संयुक्त निदेशक / उप निदेशक या /समतुल्य <b>, मानकीकरण,</b>	
		परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और	
		सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय <b>-सदस्य</b> ;	
		3. मानकीकरण, परीक्षण और गुणवत्ता प्रमाणन निदेशालय, इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय से भिन्न किसी	
		मंत्रालय या विभाग से अवर सचिव/उप निदेशक या समकक्ष स्तर का अधिकारी -सदस्य।	

[फा. सं. 2(03)/2025-पीए(टीए)]]

एम. वेल्लैपांडी, महानिदेशक

#### MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

# (Standardisation Testing and Quality Certification Directorate) NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2025

- G.S.R. 823 (E).—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate ( Group 'C' Non-Scientific and Technical posts) Recruitment Rules, 2020 and Ministry of Electronics and Information Technology Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Group 'C' post Recruitment Rules 2018, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Staff Car Driver (Grade-I), Senior Secretariat Assistant, Stenographer, Staff Car Driver (Grade-II), Junior Secretariat Assistant, Hindi Typist, Staff Car Driver (Ordinary Grade) and Multi -Tasking Staff in the Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology, namely:-
- 1. **Short title and commencement**. (1) These rules may be called the Ministry of Electronics and Information Technology, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, (Group 'C', Non-Scientific and Technical Posts) Recruitment Rules, 2025.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- **2. Application.** These rules shall apply to the posts as specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.
- 3. **Number of posts, classification and level in pay matrix.** The number of the said posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the said Schedule.
- 4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc. -** The method of recruitment to the said posts, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.
- 5. **Disqualification.** No person, -
  - (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. -** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any

class or category of persons.

7. **Saving. -** Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

#### **SCHEDULE**

Name of posts.	Number of post.	Classification.	Level in pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Staff	05* (2025)	General Central	Level – 5 in	Non-selection.	Not applicable.
Car Driver		Service, Group	the pay		
(Grade I).	*Subject to	'C', Non-	matrix		
	variation	Gazetted, Non-	(Rs.29200-		
	dependent on	Ministerial.	92300).		
	workload.				

Educational and other qualifications required for direct recruits.	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By promotion failing which, by deputation or absorption. For armed forces personnel: Deputation or re-employment.

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its	Circumstances in which Union Public Service
which promotion or deputation/	composition.	Commission is to be
absorption to be made.		consulted in making
		recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Staff Car Driver (Grade-II) in level -4 in	Committee (for considering promotion)	
the pay matrix (Rs.25500-81100) with six	consisting of:	
years of regular service in the grade.	1. Scientist 'E', Standardisation, Testing	
Or	and Quality Certification Directorate,	
With a combined service of fifteen years	Ministry of Electronics and Information	
in Staff Car Driver Grade II and Staff Car	Technology -Chairperson;	
Driver Ordinary Grade and have passed	2. The Joint Director or Deputy Director,	
the trade test specified by the	Standardisation, Testing and Quality	
Government.	Certification Directorate, Ministry of	
<b>Note:</b> Where juniors who have completed	Electronics and Information Technology	
their qualifying or eligibility service are	- Member;	
being considered for promotion, their	3. The Under Secretary or Deputy	
seniors shall also be considered provided,	Director or equivalent level officer from a	
that they are not short of the requisite	Ministry or a Department other than	
qualifying or eligibility service by more	Standardisation, Testing and Quality	
than half of such qualifying or eligibility	Certification Directorate, Ministry of	
service of two years, whichever is less,	Electronics and Information Technology	
and have successfully completed	-Member.	
probation period for promotion to the		

next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation/absorption:**

Officers of the Central Government, or autonomous bodies or public sector undertaking,

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) Staff Car Driver Grade-II in level-4 in pay matrix (Rs. 25500-81100) with six years of regular service; or
- (iii) with a combined service of fifteen years as Staff Car Driver Grade II and Staff Car Driver Ordinary Grade, and have passed the trade test specified by the Government.

## Deputation or re-employment for Armed Forces personnel:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter, they may be continued on reemployment.

**Note 1:** The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre post* immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty—six years as on the closing date of receipt of application.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Senior Secretariat Assistant.	*Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non- Gazetted, Ministerial.	Level – 4 in the pay matrix (Rs.25500- 81100)	Non-selection.	Between 18 to 27 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.

(7)	(8)	(9)	(10)
Essential: (i) graduation from a recognized University; and	Not applicable.	Two years in respect of direct recruits.	(i) fifty per cent. by direct recruitment;
(ii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi on computer.  (Thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).  Note 1: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment, a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period.		Note: There shall be a mandatory induction Training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.	(ii) twenty-five per cent. by Limited Departmental Competitive Examination;  (iii) twenty-five per cent. by promotion; and  (iv) failing (i), (ii), and (iii) above by deputation.
<b>Note 2:</b> Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.			
Note 3: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.			

(11)	(12)	(13)
Promotion:	Group 'C' Departmental Promotion	Not applicable.
Junior Secretariat Assistant and Hindi	Committee (for considering promotion)	
Typist in level-2 in the pay matrix (Rs.	consisting of:	
19900-63200) with eight years' regular	1. Scientist 'E', Standardisation, Testing	
service in the grade and having	and Quality Certification Directorate,	
successfully completed two weeks training	Ministry of Electronics and Information	
in relevant field or area as decided from	Technology - Chairperson;	
time to time.	2. The Joint Director or Deputy Director or	
Note: Where juniors who have completed	equivalent, Standardisation, Testing and	
their qualifying or eligibility service are	Quality Certification Directorate, Ministry	
being considered for promotion, their	of Electronics and Information Technology	
seniors shall also be considered, provided	-Member;	
they are not short of the requisite	3. The Under Secretary or Deputy Director	
qualifying or eligibility service by more	or equivalent level officer from a Ministry	
than half of such qualifying or eligibility	or a Department other than	
service or two years, whichever is less, and	Standardisation, Testing and Quality	
have successfully completed their	Certification Directorate, Ministry of	

probation period for promotion to the next higher grade, along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

## **Limited Departmental Competitive Examination**:

Junior Secretariat Assistant and Hindi Typist in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with five years of regular service and having successfully completed two weeks training in relevant field or area as decided from time to time as on closing date of receipt of the application from the candidate.

Note 1: The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with the provisions of the Limited Departmental Competitive Examination Rules, 2025.

**Note 2:** The candidates appointed on the basis of Limited Departmental Competitive Examination have to pass the typing test, if not already done, as provided in clause (ii) in column (7) within a period of one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of competent authority.

#### **Deputation:**

Officers of the Central Government, or autonomous bodies or public sector undertaking,

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or
- (ii) Junior Secretariat Assistant and Hindi Typist in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with eight years of regular service having experience in the field of Personnel or Establishment or Accounts matters.

**Note 1:** The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre post* immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty—six years as on the closing date of receipt of application.

Electronics and Information Technology

#### -Member.

#### Group 'C' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:

- 1. Scientist 'E', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology Chairperson;
- 2. The Joint Director or Deputy Director or equivalent, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology

  -Member:
- 3. The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level officer from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology

-Member.

(1) (2) (3) (4) (5)

3. Stenographer.	05* (2025)	General Central Service,	Level – 4 (Rs. 25500-	Not applicable.
	*Subject to variation dependent on workload.	Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	81100) in the pay matrix.	

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years of age.	(i) 12 <sup>th</sup> class pass from a	Not applicable.	Two years in
(Relaxable for departmental	recognised Board; and		respect of
candidates up to forty years in	(ii) Skill Test Norms-		direct recruits
accordance with the instructions	Dictation: 10 minutes at the		<b>Note:</b> There
or orders issued by the Central	speed of 80 words per minute.		shall be a
Government).	Transcription:		mandatory
Note: The crucial date for	50 minutes (English) 65		induction
determining the age-limit shall be	minutes (Hindi) (on computer).		Training of at
as advertised by the Staff	Note 1: Knowledge of English		least two
Selection Commission.	or Hindi or both at the time of		weeks duration
	recruitment is essential. The		for successful
	option of English or Hindi is		completion of
	given to the candidates at the		probation as prescribed by
	time of recruitment. If at the		the Central
	time of recruitment a candidate		Government.
	does not have knowledge of		Government.
	Hindi, he is required to acquire		
	the same during his or her		
	probation period.		
	Note 2: Qualifications are		
	relaxable at the discretion of the		
	Staff Selection Commission, for		
	reasons to be recorded in		
	writing, in the case of		
	candidates otherwise well		
	qualified.		
	Note 3: The qualifications		
	regarding experience are		
	relaxable at the discretion of the		
	Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in		
	writing, in the case of candidates		
	belonging to the Scheduled		
	Castes or the Scheduled Tribes,		
	if at any stage of selection, the		
	Staff Selection Commission is		
	of the opinion that sufficient		
	number of candidates belonging		
	to these communities		
	possessing the requisite		
	experience are not likely to be		
	available to fill up the vacancies		
	reserved for them.		

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable.
recruitment.		Committee (for considering confirmation)	
Note: Vacancies		consisting of:	
caused by the		1. Scientist 'E', Standardisation, Testing and Quality	
incumbent being		Certification Directorate, Ministry of Electronics and	
away on deputation		Information Technology	
or long illness or		Chairmarcan	
study leave or under		-Chairperson;	

other circumstances for a duration of one year or more may be filled on deputation from the officers of the Central Government,  (a) holding analogous posts on regular basis; and  (b) Possessing the qualifications	2. The Joint Director or Deputy Director or equivalent, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology  -Member;  3. The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level officer from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology  -Member.	
analogous posts on regular basis; and (b) Possessing the	Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology	
prescribed for direct recruits at column (7).		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.Staff Car Driver (Grade II).	*Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non -Ministerial.		

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion failing which, by deputation or absorption For armed forces personnel: Deputation or re-	Promotion:  Staff Car Driver Ordinary Grade in level -2 in the pay matrix (Rs.19900-63200) with nine years of regular service in the grade and have passed the trade test specified by the Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of the following:  1. Scientist 'E', Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology - Chairman;	Not applicable.
employment.	Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided, that they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service of two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.  Deputation/absorption:	2. The Joint Director or Deputy Director or equivalent, Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member;  3. The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level officer from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology -Member.	

Officers of the Central Government, or autonomous bodies or public sector undertaking,

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department; or
- (ii) Staff Car Driver Ordinary Grade in level-2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200) with nine years of regular service and have passed the trade test specified by the Government.

## Deputation or re-employment for Armed Forces personnel:

The Armed Forces personnel due to retire or who are to be transferred to reserve within a period of one year and having the requisite experience and qualification prescribed shall also be considered. Such personal shall be given deputation term upto the date on which they are due for release from the Armed Forces. Thereafter. thev mav continued on re-employment.

**Note 1:** The Departmental Officers who are in the direct line of promotion shall not be eligible for appointment on deputation or absorption. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre post* immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty—six years as on the closing date of receipt of application.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5. Junior Secretariat Assistant.		General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Ministerial.	Level – 2 in the pay matrix (Rs. 19900-63200).	Non-selection.

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 27 years of age.  (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised by the Staff Selection Commission.	Essential:  (a) (i) 12 <sup>th</sup> class pass from a recognised Board and  (ii) a typing speed of thirty-five words per minute in English or thirty words per minute in Hindi only on computer.  (thirty-five words per minute and thirty words per minute correspond to 10500 Key Depression Per Hour or 9000 Key Depression Per Hour on an average of 5 key depressions for each word).	Yes, to the extent indicated under column (11)	Two years for direct recruits.  Note: There shall be a mandatory induction Training of at least two weeks duration for successful completion of probation as prescribed by the Central Government.
	Note 1: Knowledge of English or Hindi or both at the time of recruitment is essential. The option of English or Hindi is given to the candidates at the time of recruitment. If at the time of recruitment a candidate does not have knowledge of Hindi, he is required to acquire the same during his probation period.  Note 2: Qualifications are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates otherwise well qualified.		
	Note 3: The qualifications regarding experience are relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission, for reasons to be recorded in writing, in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Staff Selection Commission is of the opinion that sufficient number of candidates belonging to these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.		

(10)(11)(12)(13)(i) fifty percent by direct Group ·C' Departmental Not applicable. **Promotion:** From Multi-Tasking Staff in Promotion Committee recruits; (for considering promotion) consisting (ii) twenty-five percent level-1 in the pay matrix (Rs. 18000-56900) with three years by promotion; of: regular service in the grade 1. Scientist 'E', Standardisation, (iii) twenty-five percent having successfully Testing and Ouality Certification Limited and Directorate, Ministry of Electronics completed two weeks training Departmental in relevant field or area as and Information Technology Competitive decided from time to time. Examination; and - Chairperson; and possessing qualifications (iv) failing (i), (ii) and 2. The Joint Director or Deputy (iii) above, specified under clause (i) of Director equivalent, by or column (7). Standardisation, Testing deputation. Note: Quality Certification Directorate, Where juniors who Ministry Electronics have completed their of qualifying or eligibility service Information Technology are being considered for -Member: promotion, their seniors shall 3. The Under Secretary or Deputy also be considered, provided Director or equivalent level officer they are not short of the from a Ministry or a Department requisite qualifying other than Standardisation, Testing eligibility service by more than and Quality Certification half of such qualifying or Directorate, Ministry of Electronics eligibility service or two years, and Information Technology whichever is less, and have -Member. successfully completed their Group **'C'** Departmental probation period Confirmation Committee (for promotion to the next higher considering confirmation) grade, along with their juniors consisting of: who have already completed 1. Scientist 'E', Standardisation, such qualifying or eligibility Testing and Quality Certification service. Directorate, Ministry of Electronics Limited **Departmental** and Information Technology **Competitive Examination:** - Chairperson; (i) Multi-Tasking Staff in 2. The Joint Director or Deputy level-1 in the pay matrix (Rs. Director equivalent, or 18000-56900) with three years Standardisation. Testing and of regular service and having Quality Certification Directorate, successfully completed two Ministry of Electronics weeks training in relevant field Information Technology or area as decided from time to -Member; time as on closing date of 3. The Under Secretary or Deputy receipt of the application from Director or equivalent level officer the candidate; from a Ministry or a Department (ii) the maximum age-limit for other than Standardisation, Testing eligibility for examination is Quality Certification forty-five years in case of Directorate, Ministry of Electronics general candidates and fifty and Information Technology vears in case of the candidate -Member. belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes; and (iii) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruitment under column (7). Note 1: The Limited Departmental Competitive Examination shall be conducted in accordance with

the provisions of the **Limited**Departmental **Competitive**Examination Rules, 2025.

**Note 2:** The candidates appointed on the basis of Limited Departmental Competitive Examination have to pass the typing test as provided in clause (ii) in column (7) within a period of the one year from the date of appointment, failing which no annual increments shall be allowed to them until they have passed the said test or exempted under the relevant rules with the approval of Competent Authority.

#### **Deputation:**

Holding analogous posts on regular basis under the Central Government or State Government or Union territories or autonomous bodies or public sector undertakings.

**Note 1:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre post* immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall not ordinarily exceed three years,

**Note 2:** The maximum agelimit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

Note 3: For persons appointed as Junior Secretariat Assistant (erstwhile Assistant 'A' to posts which do not belong to Central Secretariat Clerical Service whether such appointment is by promotion from Multi Tasking Staff (erstwhile Group 'C') or by direct recruitment through Staff Selection Commission or otherwise or by any other method including appointment on compassionate ground or on adhoc basis, the exemption from passing the typing test for the promotion shall be as follows:

(i) if above forty-five years of age on the date of their appointment may be granted

T	
exemption from the date of	
their appointment;	
(ii) if between the age of	
thirty-five and forty-five years	
at the time of appointment may	
be granted exemption on	
attatining the age of forty-five	
years.	
(iii) if below thirty-five years	
of age on the date of	
appointment may be given	
exemption after ten years of	
service as Assistant 'A'	
provided they have made main	
two genuine attempts to pass	
the typing test; otherwise they	
may be granted exemption	
after attaining the age of forty	
- five years; and	
(iv) those Junior Secretariat	
Assistant (erstwhile Assistant	
'A') who have made two	
genuine attempts for passing	
the typing test prior to	
commencement of the	
Standardisation, Testing and	
Quality Certification	
Directorate (Group 'C' posts)	
Recruitment (Amendment)	
rules, 2005 but have not	
completed eight years of	
service or on attaining the age	
of forty-five years whichever	
is earlier.	
is carrier.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6. Hindi Typist.	02* (2025)	General Central Service,		Selection.
	*Subject to variation	Group 'C' Non-Gazetted	matrix (Rs. 19900 –	
	asponasin on	Ministerial.	63200).	
	workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.

(10)	(11)	(12)	(13)
By promotion	Promotion:	Group 'C' Departmental	Not applicable.
failing which, by	Multi-Tasking Staff in level-1 in	Promotion Committee (for	
deputation.	the pay matrix (Rs. 18000 -	considering promotion) consisting	
	56900) with three years of regular	of the following:	
	service in the grade and possess	1. Scientist 'E', Standardisation,	
	following qualifications,	Testing and Quality Certification	
	(i) 10 <sup>th</sup> class pass from a	Directorate, Ministry of Electronics	
	recognised Board; and	and Information Technology	
	(ii) typing speed of twenty-five	- Chairperson;	
	words per minute in Hindi.	2. The Joint Director or Deputy	
	<b>Note 1:</b> The typing test exam in	Director or equivalent,	
	hindi language for promotion	Standardisation, Testing and	
	from Multi-Tasking Staff to hindi	Quality Certification Directorate,	
	typist shall be conducted by	Ministry of Electronics and	
	Standardisation, Testing and	Information Technology-Member;	

Quality Certification Directorate or any designated agency.

Note 2: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less, and have successfully completed probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

#### **Deputation:**

Officers of the Central Government, or autonomous bodies or public sector undertaking,

- (a) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or department;
- (ii) Multi-Tasking Staff in level-1 in the pay matrix (Rs. 18000 56900) with three years of regular service and possess qualifications specified under heading 'Promotion'.

Note 1: The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation.

Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

**Note 2:** The period of deputation including period of deputation in another *ex-cadre post* immediately preceding this appointment in the same or in some other organisation shall ordinarily not to exceed three years.

**Note 3:** The maximum age-limit for appointment on deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application.

3. The Under Secretary or Deputy Director or equivalent level officer from a Ministry or a Department other than Standardisation, Testing and Quality Certification Directorate, Ministry of Electronics and Information Technology

-Member.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
7.Staff Car Driver	05*(2025)	General Central Service,	Level-2 in the	Not applicable.
(Ordinary Grade).	*Subject to variation	Group 'C', Non-	pay matrix	
	dependent on work	Gazetted, Non-	(Rs.19900-	
	load.	Ministerial.	63200).	

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 to 25 years of age. (Relaxable for the departmental candidates up to forty years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).  Note: The crucial date for determining the age-limit shall be as advertised.	(i) 10 <sup>th</sup> class pass from a recognised board; (ii) Possess a valid Driving Licence for Motor Cars; (iii) three years' experience of driving motor; (iv) to Pass the Trade Test specified by the Government; and (v) knowledge of motor mechanism (The candidate should be able to remove minor defects in vehicle).  Desirable: Three years service as a Home Guard or Civil Volunteers.  Note 1: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority.  Note 2: In the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that the sufficient number of candidates with requisite experience is not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.	Not applicable.	Two years in respect of direct recruits or reemployed.

(10)	(11)	(12)	(13)
Deputation/	Deputation /absorption:	Group 'C' Departmental	Not applicable.
absorption, failing	From amongst the regular	Confirmation Committee (for	
which by direct	Group 'C' employees in the	considering confirmation)	
recruitment.	level 1 (Rs.18000-56900) in the	consisting of :	
For Armed Forces	pay matrix in the	1. Scientist 'E', Standardisation,	
Personnel:	Standardisation, Testing and	Testing and Quality Certification	
Deputation/re-	Quality Certification	Directorate, Ministry of Electronics	
employment.	Directorate, who possesses valid	and Information Technology	
	driving licence for motor car on	- Chairperson;	
	the basis of driving test to assess	2. The Joint Director or Deputy	
	the competency to drive Motor	Director or equivalent,	
	Cars, failing which, from	Standardisation, Testing and Quality	
	officials holding the post of	Certification Directorate, Ministry of	
	Despatch rider on regular basis	Electronics and Information	
	in level 1 (Rs.,18000-56,900) in	Technology -Member;	
	pay matrix in other Ministries	3. The Under Secretary or Deputy	
	of the Central Government who	Director or equivalent level officer	
	fulfil the necessary	from a Ministry or a Department	
	qualifications as mentioned in	other than Standardisation, Testing	
	column (7).	and Quality Certification Directorate,	
	For Ex-servicemanDeputation	Ministry of Electronics and	
	or re-employment	Information Technology -Member.	
	The Armed forces personnel		
	due to retire or who are to be		
	transferred to reserve within a		
	period of one year and having		

the requisite experience and	
qualifications prescribed shall	
be considered. Such persons	
shall be given deputation terms	
up to the date on which they are	
due for release from the Armed	
Forces, thereafter they may be	
continued on re-employment.	
<b>Note 1:</b> The period of	
deputation including the period	
of deputation in another ex-	
cadre post held immediately	
preceding this appointment in	
the same or some other	
organisation/Department of the	
Central Government shall	
ordinarily not to exceed three	
years.	
<b>Note 2:</b> The maximum age-limit	
for appointment by	
deputation/absorption shall not	
be exceeding fifty-six years as	
on the closing date of receipt of	
the application.	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
8. Multi-	89* (2025)	General Central Service	Level-1 in the	Not applicable.
Tasking Staff.		Group 'C', 'Non-Gazetted	pay matrix (Rs.	
	*Subject to variation	Non-Ministerial.	18000- 56900).	
	dependent on workload.			

(6)	(7)	(8)	(9)
Between 18 and 27 years.	10 <sup>th</sup> class pass from a recognised board.	Not applicable.	Two years in
(Relaxable for the departmental	Note 1: Qualifications are relaxable at		case of direct
candidates up to the age of forty	the discretion of the Staff Selection		recruits.
years in accordance with the	Commission, for reasons to be recorded		Note: There
instructions or orders issued by	in writing, in the case of candidates		shall be a
the Central Government).	otherwise well qualified.		mandatory
Note: The crucial date for	Note 2: The qualifications regarding		induction
determining the age-limit	experience are relaxable at the discretion		Training of at
shall be as advertised by the	of the Staff Selection Commission, for		least two weeks
Staff Selection Commission.	reasons to be recorded in writing, in the		duration for
	case of candidates belonging to the		successful
	Scheduled Castes or the Scheduled		completion of
	Tribes, if at any stage of selection, the		probation as
	Staff Selection Commission is of the		prescribed by
	opinion that sufficient number of		the Central
	candidates belonging to these		Government.
	communities possessing the requisite		
	experience are not likely to be available		
	to fill up the vacancies reserved for		
	them.		

(10)	(11)	(12)	(13)
By direct recruits.	Not applicable.	Group 'C' Departmental Confirmation	Not applicable.
		Committee (for considering confirmation)	
		consisting of:	
		1. Scientist 'E', Standardisation, Testing and Quality	
		Certification Directorate, Ministry of Electronics and	
		Information Technology - Chairperson;	

T		
	2. The Joint Director or Deputy Director or	
	equivalent, Standardisation, Testing and Quality	
	Certification Directorate, Ministry of Electronics and	
	Information Technology -Member;	
	3. The Under Secretary or Deputy Director of	
	equivalent level officer from a Ministry or a	
	Department other than Standardisation, Testing and	
	Quality Certification Directorate, Ministry of	`
	Electronics and Information Technology -Member.	

[F. No. 2(3)/2025-PA(TA)]

M. VELLAIPANDI, Director General